1) विकासखंड अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग इन युजर तथा पासवर्ड महत्वपुर्ण है। यह गोपनीय होनी चाहिए जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारी एवं केवल ऑपरेटर को होनी चाहिए । इनके लॉग इन से किसी प्रकार की गलती के लिए संबंधित अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।कुछ विकासखंड से यह शिकायत मिल रही थी कि उनके पासवर्ड को किसी के द्वारा बदल दिया गया है इसका अर्थ यह है कि पासवर्ड की जानकारी अन्य व्यक्तियों को भी है अत: अपने लॉग इन के पासवर्ड को पुन: रिसेट कर केवल अपने अधिकारी को ही जानकारी दें ।

2) इसी प्रकार खादान्न प्रविष्टी के बिना आगामी माह हेतु आबंटन नहीं हो पायेगा।

3) कुकिंग कास्ट की राशि सॉफ्टवेयर में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही मध्यान्ह भोजन संचालन कर्ता समुहों को भुगतान किया जाना है । कुकिंग कास्ट की राशि का व्यय का लेखा विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संधारण किया जाना है । मध्यान्ह भोजन संचालन कर्ता समुहों को भुगतान हेतु विकासखंड शिक्षा अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे ।

4) मासिक प्रविष्टी के बिना कुकिंग कॉस्ट की राशी जनरेट नहीं हो पायेगी।

5) वर्तमान में सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के मध्यान्ह भोजन हेतु मदवार बैंक में खाते होंगे । यदि न हो तो योजना एवं मद के नाम से खात खुलवा ले।

6) अक्टूबर माह में साफ्टवेयर के माध्यम से ही नवम्बर माह के लिए खाद्यान्य आबंटन किया जाना है इसके लिए लाभान्वित के साथ खाद्यान्य प्रविष्ठी भी किया जाना आवश्यक है।

7) रसोइया की संख्या के लिए भारत सरकार के गाइड लाईन का उपयोग किया जाना है इसके लिए किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है।

8) सभी शालाओ से किचन शेड की स्थिति की जानकारी निम्नानुसार माँगा ले -
किचन शेड -

I. है ,
II. निर्माणाधीन है ,
III. स्वीकृत है कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ,
IV. स्वीकृत नहीं है ।

9) जिले तथा ब्लाक स्तर पर मध्यान्य भोजन योजना के राशियों का संधारण कंपोनेंट वार (कुकिंग कास्ट ,रसोइया मानदेय ,खाद्यान्य की राशी, MME ,परिवहन व्यय) किन अधिकारियो के द्वारा किया जाता है उसका विवरण निम्नानुसार तैयार कर रखे ताकि भविष्य में मानवसंसाधन विभाग के निर्देशनुसार सॉफ्टवेर में इसकी आवश्यकता पड़ने पर इसकी प्रविष्ठी तत्काल की जा सके . -

I. जिले स्तर पर - जिला शिक्षा अधिकारी , सीईओ, AC TRIBAL
II. ब्लॉक स्तर पर -विकासखंड शिक्षा अधिकारी ,आयुक्त नगर निगम
III. पद, बैंक का नाम, खाता क्रमांक, उपलब्ध राशी ।